प्रकरण क्रमांक R- PBR/2017

।।श्री।। प्रस्तुति दिनांक :- /12/2017

:: न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर ______ ::म.प्र.::

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6017

(105)

बाबु पिता भेरा जाति तेली आयु (70) वर्ष,
व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम हातोद, तहसील
सरदारपुर, जिलाधार (म.प्र.) — प्रार्थी/निगरानी कर्ता

(विरूद्ध)

पुनिया उर्फ पुनमचंद पिता भेराजी जाति तेली,
आयु (45) वर्ष, व्यवसाय नौकरी, निवासी
इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर (मध्य-प्रदेश) ---- विपक्षी

:: निगरानी धारा (50) म.प्र. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,

श्रीमान की सेवा में निगरानीकर्ता तरफ से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि ग्राम केशरपुरा निमानिया पटवारी हल्का नम्बर (42/84) तहसील सरदारपुर में भूमि सर्वे क्रमांक (29) रकबा 1.442 हेक्टर, 30/2 रकबा 2.508 हेक्टर कुल नम्बर (2) कुल रकबा 2.393 हेक्टर लगान 11-00 रूपया की भूमि के संबंध में इस प्रकरण के विपक्षी पुनिया ने धारा 178 म.प्र. रा.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की, उक्त कार्यवाही में प्रार्थी याने निगरानीकर्ता को सूचना दिये बगैर मौजा पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब करने बाबद आदेश व बिना आदेश के एकाएक बिना विपक्षी को आवेदन-पत्र का नोटिस तामील कराये एकाएक फर्द बंटवारा व बटांकन प्रस्तुत करने बाबद आदेश नही होते हुवे फर्द बंटवारा व नकशा बटांक प्रस्तुत कर दिया जिस संबंध में प्रोसीडिंग दिनांक 17-10-2017 व प्रोसिडिंग दिनांक 07-11-2017 के आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता की तरफ से यह निगरानी निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक नकल के दिन गुजरा जाते अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

प्र.क्र.037/16-17 अ-27

:: आ धा र - नि ग रा नी ::

....2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/धार/रा.रा./2017/6017 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.12.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द पर आवेदक की सहमति/असहमति हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	